भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4042
उत्तर देने की तारीख 19/12/2024

आंध्र प्रदेश में सावधि ऋण योजना

4042 श्री बस्तीपति नागराजू :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सावधि ऋण योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त जनजातीय उद्यमों की कुल संख्या का आन्ध्र प्रदेश सहित जिलावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की गई ऋण राशि का आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यवार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऋण चुकौती में कोई चूक हुई है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश सहित वर्षवार, राज्यवार और जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सहायता-प्राप्त जनजातीय उद्यमों की वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके):

(**क) और (ख):** जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो आय सृजन गतिविधियों/स्वरोजगार के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/स्वयं-सहायता समूहों को सावधि ऋण सहित अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रियायती ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की योजनाओं को आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, एनएसटीएफडीसी द्वारा जिलेवार के बजाय राज्यवार सैद्धान्तिक आबंटन किया जाता

है और तदनुसार प्रस्ताव प्राप्त और संसाधित किए जाते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश सहित सावधि ऋण योजना के अंतर्गत संवितरित राशि तथा सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति के कुल लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): योजना का क्रियान्वयन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें एनएसटीएफडीसी द्वारा त्रैमासिक (तिमाही आधार पर) पुनर्भुगतान की मांग की जाती है। पुनर्भुगतान में चूक का आकलन एजेंसी द्वारा नियत तिथि के भीतर देय राशि का भुगतान न करने की शर्तों के अनुसार किया जाता है। हालांकि, निगम को समय-समय पर पुनर्भुगतान प्राप्त हो रहा है और एनएसटीएफडीसी की सभी योजनाओं के तहत संचयी वसूली का समग्र (कुल) प्रतिशत नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**संचयी वसूली प्रतिशत (पूरे भारत में)**
1.	2021-22	89.74%
2.	2022-23	90.56%
3.	2023-24	91.14%

31.03.2024 तक, एनएसटीएफडीसी ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 289.27 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं और इसके सापेक्ष बकाया (अतिदेय) राशि 19.85 करोड़ रुपए है।

(घ) एवं (ङ): राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को रियायती ऋण देने से पहले सभी मानक प्रक्रियाओं का पालन करती हैं।

दिनांक 19.12.2024 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4042 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2019-20 से 2023-24 तक सावधि ऋण योजना के तहत राज्यवार-वर्षवार संवितरण

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1285.03	276			127.19	6			65.00	52
2	अरुणाचल प्रदेश			794.53	224	248.65	103	488.52	375	25.77	13
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	245.00	7501								
4	असम			5.00	2					40.02	43
5	बिहार									3.06	3
6	छत्तीसगढ़	889.30	525	195.76	235	1098.16	565	273.11	281	221.42	243
7	दादरा एवं नगर हवेली									4.55	6
8	गोवा									0.22	1
9	गुजरात	394.75	98	1440.90	8230	2000.00	10000	1007.53	5005	2810.12	11848
10	हिमाचल प्रदेश	20.83	25	13.40	2	14.00	2	48.90	100		
11	जम्मू एवं कश्मीर	446.25	135	318.75	125	1273.75	361	1092.54	335	270.90	93
12	झारखंड	611.92	3742	1.60	2			3.00	756	532.97	571
13	कर्नाटक			2316.94	1905	1250.15	812	1573.63	1060	848.41	493

14	केरल	114.90	54	269.71	169	432.29	216	383.13	225	199.84	74
15	मध्य प्रदेश	4118.26	3912	3360.10	5685	2755.00	2373	5322.05	3241	1759.58	828
16	महाराष्ट्र	951.56	447	30.79	596	121.56	1231	342.81	121	1835.22	488
17	मणिपुर			62.37	65			25	57	235.49	174
18	मेघालय	1745.18	1412	4485.43	35016	694.81	1883	470.60	1227	475.91	1193
19	मिजोरम	4484.04	3084	3324.18	1399	4496.77	10108	5121.68	3044	6856.69	4573
20	नागालैंड	2413.22	51918	1098.72	48240	693.36	48257	20.39	1	1199.77	771
21	ओडिशा	1654.78	4562	126.65	202	59.20	146			153.59	510
22	राजस्थान	1071.24	2150	1985.18	2414	498.60	65	779.35	1331	712.22	885
23	सिक्किम	253.30	100	82.11	21	62.56	16			34.23	27
24	तमिलनाडु		2775			15	1609	1055	1284	3177.41	3598
25	तेलंगाना	30.07	1886	273.00	442	111.55	1855	80.00	109	493.52	370
26	त्रिपुरा			2134.35	1000	500.00	2143			1942.27	2201
27	उत्तराखंड	102.37	23	6.15	2			61.42	18	32.59	8
28	उत्तर प्रदेश			1.55	4					3.37	4
29	पश्चिम बंगाल							745.94	1747	14.06	9
	कुल	**20832.00**	**84625**	**22327.17**	**105980**	**16452.60**	**81751**	**18894.60**	**20317.00**	**23948.20**	**29079**

*****